कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ।

पत्रांक 839/नक्शा/जि0पं0/2014–2015 दिनांक 13 अप्रैल, 2015

श्रीमती समता सिंह
ग्राम–गौरा
विकास खण्ड–मोहनलालगंज
तहसील–मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर सम्यक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग्रामसभा गौरा विकास खण्ड मोहनलालगंज जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 1842, 1843 में व्यवसायिक भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र के आधार पर कुल कवर्ड एरियां 2168.35 वर्गमीटर में कार्य कराये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय निर्माणाधीन अवधि में कोई भी सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।

2–मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थान की प्रतिबंधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1985 के नियम –7 यथावत लागू रहेगें।

3–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।

4–प्रतिबन्ध रहेगा कि मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 2168.35 वर्गमीटर में ही कराया जाये।

5–प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत, लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में जिला पंचायत, लखनऊ जिम्मेदार नहीं होगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।